

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ.5(3)आ.प्र.एवं सआ/चारा/डिपो/2009-10/ 5930-41 जयपुर, दिनांक 10.3.10

आदेश

विभागीय दिशा निर्देश दिनांक 20.01.2006 में निर्धारित चारा परिवहन अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चारा परिवहन के ट्रकों के भार की अधिकतम सीमा 100 क्विन्टल को अतिक्रमित करते हुए, वाहनों की चारा भराव क्षमता का परीक्षण कर अधिकतम सीमा निर्धारण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. जिला कलक्टर - अध्यक्ष
2. पशुपालन विभाग का जिला अधिकारी - सदस्य
3. कृषि विभाग का जिला अधिकारी - सदस्य
4. परिवहन विभाग का जिला अधिकारी - सदस्य

उक्त समिति चारा परिवहन अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में बैठक कर, व्यावहारिक परीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न प्रकार के वाहनों में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अर्धधीन रहते हुए, चारे के आयतन (Volume) को देखते हुए जितना अधिकतम चारा प्रत्येक प्रकार के वाहन में लाया-लेजाया जाना व्यावहारिक रूप से सम्भव हो, उससे अधिक भार के लिए चारा परिवहन अनुदान अनुमत नहीं किया जावे।

13<sup>2</sup> 9/3/10  
शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ट सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिवगण।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. जिला कलक्टर, (अभावग्रस्त 27 जिले) राजस्थान।
11. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
12. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

शासन उप सचिव